न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/136/18	13–11–2018	05–11–2019

01. उमर मोहम्मद पुत्र मौज खां जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर मेव उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत पालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 05–09–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1402/2006 प्रकरण संख्या 25/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–09–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1402/2006 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलौच्च निर्णय एकतरफा में पारित किया है। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.7.18 को निलंबित किया गया था, निलंबित बाबत अपीलान्ट को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नही किया गया, ना ही प्राप्त हुआ। दिनांक 16.8.18 को अपीलान्ट को अपने प्राधिकार पत्र के बहाल करने की बाबत तहत अदालत में उपस्थित हुआ तो अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस की प्रति दी गई एवं अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.8.18 को ही तहत अदालत के समक्ष कारण बतओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया, जो जवाब पत्रावली पर मौजूद है उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 16.8.18 में जवाब वास्ते समय चाहा गया, जबकि अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना जवाब कारण बताओं नोटिस पेश किया नोटशीट पर हस्ताक्षर किये जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु आगामी तारीख 6.9.18 बताई गई थी और दिनांक 6.9.18 को अपीलान्ट उपस्थित हुआ जिस पर प्रकरण में आगामी तारीख 1.11.18 नियत होना बताया गयी थी। अपीलान्ट दिनांक 1.11.18 को तहत अदालत में उपस्थित हुआ तो पता चला कि अपीलान्ट के प्रकरण में नियत तारीख पेशी 6.9.18 को कांटकर दिनांक 5.9.18 को ही अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया एवं जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार के आदेश दिये जा चुके है। प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा अपीलान्ट की दुकान का दिनांक 27.7.18 को निरीक्षण किया था वक्त निरीक्षण अपीलान्ट मौके पर उपस्थित था एवं निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करते हुए समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। किन्तु मौके पर निरीक्षण प्रपत्र भरा नही था खाली पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करा लियें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग ग्राम पंचायत पालपुर संचालित है और अपीलान्ट के पास उचित मूल्य सामग्री के वितरण क्षेत्र अलापुर, सिलारपुर, व मिलकपुरी के उपभोक्ताओं आते थे। ग्राम पंचायत पालपुर एवं अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान ग्राम सिलारपुर व ग्राम मिलकपुरी की दूरी 7–8 कि0मी0 है। जिस कारण ग्राम सिलारपुर एवं ग्राम मिलकपुरी के उपभोक्ताओं को अपीलान्ट की दुकान पर आने में असुविधा होती थी। ग्राम पंचायत पालपुर के सरपंच ने तहत अदालत से मिलकर यह मौखिक आदेश करवा रखे थे कि अपीलान्ट उचित मूल्य सामग्री का वितरण ग्राम अलापुर के लिए तो ग्राम पालपुर में करेगा एवं मिलकपुरी में करेगा। उचित मूल्य सामग्री के वितरण बाबत किसी भी उपभोक्ता या ग्राम पंचायत सरपंच या किसी सदस्य या प्रधान की कोई शिकायत नहीं रही है। उपभोक्ताओं को समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण पॉस मशीन के जरिये किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही बरती गई है ना ही अनियमितता बाबत कोई शिकायत अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी व्यक्ति की रही है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र करीब 3 माह से अधिक समय से निलम्बित चल रहा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहत अदालत द्वारा आलौच्च निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.18 से जानकारी दिनांक 1.11.18 को हुई, आलोच्य आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 1.11.18 को पेश किया पर नकल दिनांक 2.11.18 प्राप्त हुई, जिस कारण से आलोच्य आदेश से अपील पेश करने के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है, एवं कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि उपभोक्ताओं की शिकायत व जांच के आधार पर प्राधिकार पत्र दिनांक 5.9.18 को निरस्त किया गया। डीलर द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है, डीलर द्वारा की गई अनियमितताऐं राजस्थान खाधान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधन होने के कारण निरस्त किया गया है। वक्त निरीक्षण कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये जाने के कारण स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका और ना ही केरोसीन तेल के आवंटन/खलाव की बिल्टी संबंधी कागजात प्रस्तुत किये गये। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र एवं दोनो दुकानो के नक्शे प्रस्तुत नहीं किए गए–और ना ही संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया और ना अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित होकर अपने पक्ष में कोई सबूत आदि पेश किए गयें। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05–09–2018 के विरूद्व दिनांक 13–11–2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 01–11–2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि जिला रसद अधिकारी ने

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य का मौका दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 16.8.18 को अपीलान्ट को अपने प्राधिकार पत्र के बहाल करने की बाबत तहत अदालत में उपस्थित हुआ तो अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस की प्रति दी गई एवं अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.8.18 को ही तहत अदालत के समक्ष कारण बतओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया, जो जवाब पत्रावली पर मौजूद है उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 16.8.18 में जवाब वास्ते समय चाहा गया, जबकि अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना जवाब कारण बताओं नोटिस पेश किया नोटशीट पर हस्ताक्षर किये जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु आगामी तारीख 6.9.18 बताई गई थी और दिनांक 6.9.18 को अपीलान्ट उपस्थित हुआ जिस पर प्रकरण में आगामी तारीख 1.11.18 नियत होना बताया गयी थी। अपीलान्ट दिनांक 1.11.18 को तहत अदालत में उपस्थित हुआ तो पता चला कि अपीलान्ट के प्रकरण में नियत तारीख पेशी 6.9.18 को कांटकर दिनांक 5.9.18 को ही अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया एवं जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार के आदेश दिये जा चुके है। अपीलान्ट वकील द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 3839 दिनांक 14.8.18 जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट तहत अदालत को संतोषप्रद जवाब/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान खाघान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। अपीलान्ट उपस्थित नहीं होना और जवाब नोटिस व साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में लगाये गये आरोप साबित करता है। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया, निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि तहत अदालत में अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 5–9–2018 को यथावत् रखे जाते है। निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)